ISSN : 2581-8848

“विमुक्त या घुमन्तू समुदाय : समाज एवं संस्कृति के सन्दर्भ में”

शेषांक चौधरी
शोधार्थी, हिंदी विभाग
हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय
ईमेल-
chaudharysheshank.brh2016@gmail.com

सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में जनविकास के कई सारे प्रक्रम शुरू किए गए। देश को तरक्की की राहों पर ले जाने के लिए कई उपक्रमों का गणेश हुआ। किसी भी देश की उन्नति व सर्वांगीण विकास ले लिए उसमें रहने वाले सभी समूहों, वर्गों का समान विकास हो यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजादी के बाद विकास की जो परिकल्पना की गई उसमें देश की घुमन्तू जनजाति के रूप में एक बहुत बड़ी आबादी की अवहेलना स्पष्ट रूप से रेखांकित की जा सकती है। उनका वैसा विकास नहीं हुआ जैसा वांछित था। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जहाँ सम्पूर्ण देश को १९४७ में आजादी प्राप्त हो गई थी, वहीं देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो घुमन्तू समुदाय के रूप में थी; उसे ३१ अगस्त १९५२ को मुक्ति मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट १८७१’ के तहत ‘जन्मजात अपराधी’ घोषित कर दिया था; यह विद्रोही समुदाय घुमन्तू जनजातियों के ही थे। आजादी के पाँच वर्ष बाद ३१ अगस्त १९५२ को भारत सरकार ने इस बर्बर एवं भेदभाव पूर्ण कानून से घुमन्तू समाज के लोगों को मुक्ति दिलाई और इनको ‘विमुक्त’ घोषित किया गया। अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण क़ानून के स्थान पर “हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट” लागू कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ब्रिटिश विद्रोही समाज १९५२ तक जन्मजात अपराधी माने जाते थे वे अब ‘आदतन अपराधी’ माने जाने लगे मगर उनके नाम के आगे ‘विमुक्त’ शब्द जोड़ दिया गया जिससे यह पता चले कि यह पहले अपराधी जनजाति के थे। बात यहीं नहीं खत्म होती है, इस समुदाय के अनेक वीर योद्धाओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। उन वीरों की दास्तान भी अब किसी को नहीं पता। अंग्रेजों तथा उनके चाटुकार इतिहासकारों की कुत्सित मानसिकता के कारण उनके संघर्ष को देश की आजादी के इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इतिहास में स्थान मिलना तो दूर की बात, उन्हें इस बलिदान का सिला ‘जन्मजात अपराधी’ के संबोधन के रूप में मिला। इस बात का प्रमाण २००८ में भारत की संसद में एक ‘एप्रोप्रिएशन बिल’ की बहस के दौरान उड़ीसा के एक सांसद ब्रह्मानंद पांडा के वक्तव्य से मिलता है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि - “उनके निर्वाचन क्षेत्र का ‘लोधा समुदाय’ जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें आज भी समाज एवं शासन सत्ता में बैठे लोग ‘जन्मजात अपराधी’ ही मानते हैं।”[१] सांसद का उड़ीसा के लोधाओं के बारे में स्वातंत्र्य योद्धाओं संबंधी वक्तव्य देश कि अन्य घुमन्तू जनजातियों – ‘गुर्जर’, ‘महावत’, ‘नट’, ‘सांसी’, ‘सहारिया’, ‘कबूतरा’, ‘बंजारा’, ‘धनगर’, ‘वडार’, ‘घिसाड़ी’ आदि के समुदायों पर भी लागू होता है।

बीज शब्द : ‘गुर्जर’, ‘महावत’, ‘नट’, ‘सांसी’, ‘सहारिया’, ‘कबूतरा’, ‘बंजारा’, ‘धनगर’, ‘वडार’, ‘घिसाड़ी’

प्रास्ताविक

अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकारों ने भी इनकी सुध नहीं ली। जिसका परिणाम है कि आज भी इस समुदाय के लोग अत्यंत नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। विमुक्त अथवा घुमन्तू समुदाय आज भी अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं को संरक्षित रखते हुए जीवन जीने के लिए संघर्षरत है। बदलते हुए आधुनिक परिवेश के साथ घुमन्तू जनजातियों के कुछेक लोगों ने थोड़ा-बहुत शिक्षा के महत्व को पहचाना है और शिक्षा ग्रहण कर थोड़ी-बहुत प्रगति की है; लेकिन बहुत-से घुमन्तू लोग आज भी वनों, पहाड़ों एवं गाँव-गाँव में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। देश की स्वतंत्रता के पाँच वर्ष बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा

घुमन्तू वीरों को दिया गया 'जन्मजात अपराधी' का टैग भले ही सरकारी दस्तावेजों में खत्म हो गया हो; लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर विमुक्त या घुमन्तू लोगों के साथ आज भी वही व्यवहार किया जा रहा है।

वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार भारत में विमुक्त या घुमन्तू समुदाय के लोगों की जनसंख्या १५ करोड़ है। जो अनुमानतः अब (२०२२) बढ़कर लगभग १९-२० करोड़ हो गई है। यह विशाल जनसमुदाय देश की आजादी के बाद भी आज तक सामाजिक न्याय से पूरी तरह वंचित एवं विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रहा है। विमुक्त जातियों के साथ जो उपेक्षा सरकारों, यहाँ तक कि सामाजिक न्याय के ध्वजवाहकों ने की है वह वास्तव में चिंता एवं चिंतन का विषय है। शायर असराल-उल-हक़ मजाज़इन विमुक्त या घुमन्तू जनजातियों के दर्द को अपनी शायरी के अल्फाज़ों में पिरोते हुए फ़रमाते हैं-

"बस्ती से थोड़ी दूर, चट्टानों के दरमियाँ
ठहरा हुआ है, खानाबदोशों का कारवां
उनकी कहीं जमीन, न उनका कहीं मकां
फ़िरते हैं यूँ ही शामों-सहर ज़ेरे आसमां।"[२]

हमारे देश में लगभग ८४० विमुक्त या घुमन्तू जनजातियाँ हैं। देश की प्रमुख विमुक्त या घुमन्तू जनजातियों में – 'कलंदर', 'भवैया', 'कुचबन्दा', 'कलबेलिये', 'बंजारा', 'नट', 'पारधी', 'घिसाड़ी', 'वडार', 'धनगर', 'अगरिया', 'महाउत', 'आंध्र', 'लोधा', 'बिअर', 'बैगा', 'भामिया', 'दामोर', 'कोरकू', 'कंवर', 'मांझी', 'मवासी' आदि हैं। प्रत्येक घुमन्तू समुदाय की एक अलग ही विशिष्टता होती है, जो इनको अन्य घुमन्तू जातियों से अलग करती है। प्रत्येक घुमन्तू जाति की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, पहनावा, रहन-सहन, न्याय पद्धति, वैवाहिक विधान, रीति-रिवाज होते हैं। घुमन्तू जातियों के समाज एवं संस्कृति को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक घुमन्तू जनजाति की अपनी विशेषताएं हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास मैंने किया है।

विमुक्त या घुमन्तू जनजाति समाज देवी-देवताओं के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव से पूरित होता है। इस समाज के लोगों का मानना होता है कि सारी समस्याओं की जड़ दैवीय प्रकोप होता है। अतः इस समुदाय के लोग स्वयं को दैवीय प्रकोप से बचाने के लिए अपने कुल के देवी-देवताओं की भांति-भांति विधियों से आराधना करते हैं। पूजा के दौरान पशु-बलि देने की प्रथा इस समाज में आज भी प्रचलित है। घुमन्तू समाज में प्रचलित बलि प्रथा के संबंध में डॉ. गणपत राठौर अपनी पुस्तक 'घुमन्तू जनजातियों का सांस्कृतिक अध्ययन' में पारधी विमुक्त जनजाति की बलि संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि - "पारधी लोग दशहरे के दिन कर्जा लेकर ही क्यों ना हो बलि देते हैं। कुछ भक्तोंगणों के शरीर में देवी माता का संचार होता है, तब वह कड़ाही के तपते तेल में से पूड़ियाँ हाथ से निकाल कर दिखाते हैं। माता की कृपा से उन्हें किसी प्रकार का जख्म नहीं होता। इतनी अटूट श्रद्धा देवी माता पर इस समुदाय के लोगों की होती है।"[३] अपने आराध्य देवी-देवताओं की आराधना करते समय घुमन्तू लोग विभिन्न प्रकार के आराधना-गीत गाते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ घुमन्तू जनजातियों के आराधना-गीत दृष्टव्य हैं -:

बंजारा समुदाय का तीज की देवी की आराधना का गीत -

"बाई ये तीज बोइ हम देववास
आयो करिए बाई देवी हमारे वास
बाई ये जीत बोइ हम देवीवास।"[४]

पारधी समुदाय का देवी माता की आराधना का गीत -

"मारा देवीनो मीने भंडार
आपण आपण देवी नौ मौजकरो
भंडार करो आपणा देवी नौ
गाणा कहो आपण पारधी

 ISSN : 2581-8848

झी आपणी देवी बोकडावर
बैसिली झी आपणी देवी ।"[५]
वडार समुदाय का देवी माता की आराधना का गीत -
"येड बिंदयाल नेल तेच्ची
शिव पुजाल शेताम दारो
धरनम पुराल नरसिंगा
नवरतनाल तुरायी दारो
धरनम पुराल नरसिंगा ।"[६]

इस प्रकार हम देखते हैं कि घुमन्तू समाज में पूजा-पाठ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह समाज अपने ऊपर आने वाली अदृश्य आपदाओं से निजात पाने के लिए अपने उपास्य की शरण में जाता है। और करे भी तो क्या करे, जब उनके अपने परिवेश के बाहर बसने वाले तथाकथित सभ्य समाज में या मुख्यधारा के समाज में जब उनकी कोई सुध लेने वाला ना हो, तब उसे इन्हीं अदृश्य शक्तियों का ही तो एकमात्र सहारा है। उनकी आराधना से प्राप्त विश्वास ही तो उनकी थाती है, जिसके बल पर वह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों से जूझने का संबल पाते हैं।

घुमन्तू समाज के लोग अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों के अनुसार उत्सव और पर्व-त्यौहारों के प्रति बहुत ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं और इसकी अगवानी वे बड़ी गर्मजोशी से करते हैं। यह पर्व-त्यौहार ही वे अवसर होते हैं, जब वे अपनी ग़ुरबत से भरी जिंदगी से हर्ष के दो पल चुराकर व्यतीत करते हैं। यह त्यौहार ही होते हैं जिनके माध्यम से घुमन्तू समुदाय के लोग अपने-अपने समाज की विशिष्ट संस्कृति के सोते (स्रोत) को सूखने नहीं देते हैं। घुमन्तू समाज के लोग प्रायः सामान्य हिन्दू समाज में प्रचलित सभी त्यौहारों को मनाते हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न घुमन्तू समुदायों में कुछेक त्यौहारों को विशेष मान्यता के साथ मनाया जाता है। मसलन बंजारा समाज को ही ले कर देखें तो - उसमें तीज, दीपावली और होली के त्यौहार विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी प्रकार वडार घुमन्तू जनजाति में - दशहरा, दिवाली, होली, नागपंचमी और रक्षाबंधन का त्यौहार विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ एक ऐसी भी घुमन्तू जनजातियां हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है और वे अभी तक अपने उत्पीड़न के चक्र से बाहर नहीं निकल पाई हैं। इसीलिए उनके समाज में त्यौहारों को न के बराबर मनाया जाता है। पारधी घुमन्तू समाज इसका प्रमाण है। इस समाज में त्यौहार न के बराबर मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में अन्य समाजों के देखा-देखी इस समाज में भी कुछेक हिन्दू त्यौहारों के मनाने का चलन प्रचलित हुआ है। डॉ. गणपत राठौर इसी समाज के एक व्यक्ति के हवाले से अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि - "हमारे समाज में केवल दशहरा त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में महाकाली जगदंबा देवी को पशु-बलि दी जाती है। बाकी त्यौहार दीवाली, रक्षाबंधन, होली यह अन्य समाज की ओर देखकर साधारण रूप में मनाए जाते हैं। बाकी पारधी समाज का कोई अपना महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं है।"[७] इसी प्रकार परदेसी घुमन्तू समाज के लोग नागपंचमी, रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, दीपावली, होली आदि उत्सव मनाते हैं। धनगर घुमन्तू समाज के लोग विशेषतया नागपंचमी, लक्ष्मी पूजन, दशहरा, दिवाली एवं होली त्यौहार विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। ध्यातव्य है कि ये उत्सव एवं पर्व-त्यौहार ही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के दर्पण होते हैं। ये हमें हमारी परम्पराओं, आदर्शों एवं मूल्यों से जोड़कर हममें एक नया उत्साह सृजित करते हैं। त्यौहारों के संबंध में हेमराज मीणा जी लिखते हैं कि - " संसार का सभ्य समाज या घुमन्तू जनजातियाँ सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने-अपने कर्मों एवं मेहनत, परिश्रम में व्यस्त रहते हैं। मानो हर कोई अपने भरण-पोषण के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। जब वह अपने जीवन से ऊब जाता है तो शांति की तलाश करता है और मनुष्य को शांति मात्र उत्सवों एवं पर्व-त्यौहारों से ही प्राप्त होती है।"[८]

वेशभूषा अथवा पहनावे की दृष्टि से यदि हम विमुक्त या घुमन्तू समाज को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस समाज के वस्त्र-विन्यास पर इनके व्यवसाय की स्पष्ट छाप होती है। जैसे बंजारा समाज को देखें तो उनकी वेशभूषा में हम एक पृथक् संस्कृति के

 ISSN : 2581-8848

दर्शन पाते हैं। बंजारा पुरुष धोती-कुर्ता पहनते हैं और सिर पर साफा बनते हैं। बंजारा स्त्रियाँ रंग-बिरंगे वस्त्र पहनती हैं। विशेष बात यह है कि ये बंजारन स्त्रियाँ अपने परिधान ; चोली, ओढ़नी और लहंगे को काँच के टुकड़ों से विशेष प्रकार से करीने से सजाकर तैयार करती हैं। बंजारन स्त्रियों का परिधान तो आजकल फैशन के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है। पारधी घुमन्तू समाज का मुख्य व्यवसाय चूँकि आखेट पर जाना, पेड़ पर चढ़ना, आदि है; यही उनकी आजीविका का साधन है, यही कारण है कि यह जनजाति कम कपड़े पहनती है। पारधी पुरुष कुर्ता और एक छोटा कपड़ा माथे पर बांधते हैं तथा लंगोट पहनते हैं। अन्य घुमन्तू जनजातियों में जैसे - वडार, बंजारा, घिसाड़ी में पुरुषों में बड़ी-बड़ी रंगीन पगड़ी बांधने का चलन है। वैसा चलन पारधी जनजाति में नहीं दिखाई देता है। पारधी महिलाएं साड़ी-चोली पहनती हैं तथा हाथ, नाक, कान में मामूली धातुओं (चांदी,गिलट,रूबी आदि) के गहने पहनती हैं।

घुमन्तू समाज में न्याय व्यवस्था के निमित्त जाति पंचायतें होती हैं। पंचायत द्वारा दिया गया निर्णय समुदाय में सबको मान्य होता है। पंचायत में विवाह-विच्छेद, पति-पत्नी विवाद, अनैतिक संबंध, मारपीट एवं विवाह आदि संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाता है। जो अपराधी है उसे दंड दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसे जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। घुमन्तू समाज की जाति पंचायतों के बारे में डॉ. एस.जी.देवगांवकर लिखते हैं - "घुमन्तू समाज में एक विशेष बात दिखाई देती है कि अपराधी व्यक्ति को दंड देने के बाद उसे पुनश्च विधि द्वारा जाति में प्रवेश देने की उदारता भी पंचायत में है। अपराधी अपराध से मुक्त होने के बाद खुश होकर पंचायत के सदस्यों को मद्य-मांस का भोज देता है।"[९] वर्तमान समय में घुमन्तू समाज के कुछ लोग अपने आपसी विवादों का निपटारा कराने के लिए थानों व अदालतों की भी शरण लेने लगे हैं।

घुमन्तू समाज में सामान्यत: संयुक्त परिवार पद्धति ही प्रचलित है। इसका कारण है कि उनके व्यवसाय में सहयोग करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, इसीलिए संयुक्त रूप से रहना इनके लिए हितकर होता है। यह बात सभी घुमन्तू समुदायों में देखी जा सकती है।

घुमन्तू समाज में एक बहुत बुरा व्यसन मद्यपान का बहुप्रचलित है। इस समाज में मद्यपान एक जरूरी पेय के रूप में हर उत्सव में शामिल होता है। अनादिकाल से यह लोग सुख-दु:ख हर परिस्थिति में शराब पीते रहे हैं। विवाह, पंचायत, सभा, मृत्यु-संस्कार, धार्मिक-विधि, व दिन-भर काम करने के बाद शाम के समय इन लोगों को मदिरा अवश्य चाहिए। इनके समाज में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह लोग शराब पीकर उसकी अंत्येष्टि-क्रिया में शामिल होते हैं। मृतक की अंत्येष्टि-विधि के पश्चात सभी लोग मृतक के घर इकट्ठा होकर खूब शराब पीते हैं और शोक मनाते हैं। घुमन्तू समाज के लोगों के परिश्रम की कमाई का अधिकतम भाग उनके शराब पीने में ही चला जाता है। यह शराब ही उनके आज तक गुरबत में जीने की सबसे बड़ी वजह है। उनकी हाड़-तोड़ मेहनत की जिस कमाई को उनके बच्चों की शिक्षा, उनके परिवार के स्वास्थ्य और भोजन-पानी पर खर्च होना चाहिए था, वह उनके शराब पीने कि लत पर स्वाहा हो जाता है।

विमुक्त या घुमन्तू समाज में अंधविश्वासों की बड़ी रूढ़ कुरीति प्रचलित है। अनपढ़ होने के कारण कर्मकांड, भूत-पिशाच, टोने-टोटके आदि में इस समाज के लोग अत्यधिक विश्वास करते हैं। अपनी आराध्य कुल-देवियों को प्रसन्न करने के लिए अपने पास पैसा ना होने पर कर्ज लेकर बकरे की बलि चढ़ाना, मांसाहार करना, शराब पीना आदि इनके अंधविश्वास ही हैं। इस तरह के कर्मकांडों में ये घुमन्तू जनजातियाँ अपने पैसों का अपव्यय करती हैं। यह उनके पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विमुक्त या घुमन्तू समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों का अंबार लगा हुआ है। इसका मुख्य कारणों में इनकी ओर समाज की मुख्यधारा के लोगों की उपेक्षाभरी दृष्टि, सरकारों की इनके विकास के प्रति उदासीनता और इनका अशिक्षित होना है। इतना उपेक्षित होने के बावजूद यह समाज सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह समाज अपनी संस्कृति, परम्पराओं और रीति-रिवाजों को लेकर सजग है और उनके संरक्षण हेतु तत्पर है। समाज के कुछेक लोग अब शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्यधारा में अपना योगदान दे रहे हैं। विमुक्त या घुमन्तू समाज सदा ही राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को उद्यत रहने वाला समाज रहा है। अगर सरकारें इस समाज के विकास की ओर थोड़ा ध्यान दें तो यह समाज

विकसित होकर देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। शोलापुर के एक कवि 'नागनाथ विट्ठलराव गायकवाड़' अपनी एक कविता के माध्यम से बदलाव के लिए विमुक्त या घुमन्तू समाज के लोगों का आह्वान करते हुए लिखते हैं –

"उठ मेरे विमुक्त भाई
अपनी दुनिया है ही निराली, पैदा होते ही हम अपराधी
न गाँव, न घर, न जंगल, न कोई हक़, कहाँ के हम शिकारी
उठ मेरे विमुक्त भाई
गुलामी कि जंजीरों से बाहर निकल
क्रान्ति की फैली है किरण
संघर्ष कर
न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल।"[१०]

सन्दर्भ सूची -

1. http://thewiewhindi.com/72001/denotified-tribes-nomadic-tribes-india-govt-criminal-tribes-act/
2. https://sablog.in/denotified-nomadic-sami-nomadic-tribes-and-literature/14536/
3. घुमन्तू जनजातियों का सांस्कृतिक अध्ययन, डॉ. गणपत राठोड, पूजा पब्लिकेशन कानपुर- २०८०२१, प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या ४४-४५
4. वही, पृष्ठ संख्या ६८
5. वही, पृष्ठ संख्या ४५
6. वही, पृष्ठ संख्या ५०-५१
7. वही, पृष्ठ संख्या ७८
8. बंजारा जाति : समाज और संस्कृति, डॉ. यशवंत जाधव, पृष्ठ संख्या ११०
9. महाराष्ट्रातीलजाती, डॉ.एस.जी. देवगांवकर, पृष्ठ संख्या ३५८
10. https://sablog.in/denotified-nomadic-sami-nomadic-tribes-and-literature/14536/